अध्याय IX : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

9.1 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर अनुदान की अधिक निमुर्क्ति की वसूली

राज्य सरकारों को अनुदान जारी करते समय उचित तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निमुर्क्ति में हुआ इसे बाद में लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूला गया था।

किशोर कन्याओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना- 'सबला' के दिशानिर्देशों के अनुसार, किशोर कन्याओं[1] को वर्ष में 300 दिनों (25 दिन प्रति माह) हेतु 600 कैलोरी प्रति दिन की दर पर पोषण स्वीकार्य था। योजना दिशानिर्देशों पोषण की लागत को ₹ 5 प्रति लाभभोगी प्रति दिन की स्वीकार्य राशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकार के साथ बॉटने का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2011) कि मंत्रालय ने राजस्थान को स्वीकार्य निधियों की वास्तविक राशि को परिकलित करने में गलतियाँ की थी। मंत्रालय ने 24 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि हेतु स्वीकार्य 55 दिनों के प्रति 67 दिनों की संख्या को लिया जब कन्याओं को पोषण की आपूर्ति की गई थी। इसका परिणाम कुल ₹ 1.81 करोड़ की राशि की निधियों की अधिक निर्मुक्ति में हुआ। 2010-11 के दौरान तीन अन्य मामलों में, मंत्रालय ने निधियों की स्वीकार्यता का परिकलन करने हेतु लाभभोगियों की संख्या के गलत आंकड़ो को लिया जिसका परिणाम तीन राज्यों जैसा नीचे विवरण दिया गया है, को अधिक निर्मुक्ति में हुआ:

(₹ लाख में)

राज्य का नाम	लाभभोगियों की वास्तविक सं.	परिकलन हेतु लिए गए लाभ भोगियों की सं.	स्वीकार्य निर्मुक्ति	वास्तविक निर्मुक्ति	अधिक निर्मुक्ति
बिहार	1305200	1403311	1957.80	2104.97	147.17
हिमाचल प्रदेश	90016	98974	168.78	185.58	16.80
सिक्किम	8783	9116	10.98	11.40	0.42
योग			**2137.56**	**2301.95**	**164.39**

इस प्रकार, राज्य सरकारों की पात्रताओं का पता लगाने में उचित त्तत्परता का प्रयोग करने में मंत्रालय की विफलता का परिणाम ₹ 3.45 करोड़ की अधिक निर्मुक्ति में हुआ।

[1] 11 से 18 वर्ष का आयु वर्ग

इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (जून 2011) पर मंत्रालय ने 2011-12 के दौरान संबंधित राज्यों की अनुवर्ती निर्मुक्तियों से ₹ 3.45 करोड़ की आधिक्य राशि की वसूली की (सितम्बर 2011)।

9.2 एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की अनियमित निर्मुक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अम्बाला एवं हिसार में दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु दो केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् फरवरी 2008 में किशोर न्याय कार्यक्रम तथा दिसम्बर 2010 में एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल ₹ 1.08 करोड़ के अनुमोदन दो बार जारी किया।

साँतवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय अधिनियम 1986 के कार्यान्वयन के अनुसार किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के सभी जिलों, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, में उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों की देख-भाल, संरक्षण, विकास तथा पुर्नावास था।

योजना के मानदण्डों के अनुसार, 50 कैदियो हेतु एक अवलोकन गृह के निर्माण हेतु अनुदानों को केन्द्रीय अंश ₹ 9.03 लाख होना चाहिए था। गृहों के निर्माण हेतु शेष व्यय को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के बजट से पूरा किया जाना चाहिए था।

हरियाणा सरकार ने ₹ 1.45 करोड़ तथा ₹ 1.86 करोड़ की अनुमानित लागतों पर क्रमशः अम्बाला तथा हिसार पर दो अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए (अगस्त तथा नवम्बर 2007)। मंत्रालय ने सरकार को सूचित किया (दिसम्बर 2007) कि वह योजना के मानदण्डो के अनुसार दो गृहों के निर्माण हेतु केवल ₹ 18.06 लाख की अनुदान के केन्द्रीय अंश की संस्वीकृति की स्थिति में था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस शर्त, कि शेष राशि को राज्य सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 18.06 लाख का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया (फरवरी 2008)। राज्य सरकार ने अगस्त 2009 को इन गृहों के निर्माण हेतु केन्द्रीय अंश के अतिरिक्त ₹ 3.82 करोड़ का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि मंत्रालय ने, मंत्रिमण्डल की स्वीकृति (फरवरी 2009) से बच्चों हेतु सुरक्षात्मक वातावरण के लिए एक ठोस आधार को सृजित करने हेतु एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् एकीकृत शिशु संरक्षण योजना (ए.शि.सं.यो.) प्रारम्भ की। लेखापरीक्षा ने पाया कि हरियाणा राज्य सरकार ने पहले उल्लेखित अम्बाला तथा हिसार में उन्हीं अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु अनुदानों की निर्मुक्ति हेतु ए.शि.सं.यो. के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितम्बर 2010)। मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा तथ्य कि गृहों को पहले ही अन्य केन्द्रीय

योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किया जा रहा था, को जोड़े बिना गृहों के निर्माण हेतु राज्य सरकार को ₹ 89.58 लाख का केन्द्रीय अंश जारी किया (दिसम्बर 2010)। अम्बाला तथा हिसार में अवलोकन गृहों के निर्माण हेतु ए.शि.सं.यो. के अंतर्गत ₹ 89.58 लाख की निधियों की निर्मुक्ति करने की मंत्रालय की कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि दोनों गृहों को किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही वित्तपोषित किया जा रहा था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि उन्हीं गृहों हेतु अनुदाने दो बार दी गई थी तथा बताया कि आधिक्य राशि को राज्य सरकार को भविष्य की अनुदानों में से उपयुक्त रूप से काटा जाएगा।

यह पाया गया था कि मंत्रालय ने राज्य सरकार से दो गृहों के निर्माण की स्थिति सहित केवल तथ्यों की पुष्टि पर ही कमी को स्वीकार किया। इसने दर्शाया कि मंत्रालय के पास अनुदानों को जारी करते समय उपयुक्त तत्परता का प्रयोग करने की प्रणाली नहीं थी तथा इसके उपयोग के संबंध में उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

इसलिए, मंत्रालय एक ही उद्देश्यों हेतु अलग योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों की निर्मुक्ति से बचने हेतु एक उचित प्रक्रिया स्थापित करें। आश्वासन प्राप्त करने हेतु कि इनको जारी निधियों को प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है, राज्य सरकारों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाए।